

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-24	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक <u>26-7-24</u> को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
26-7-24	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थनापत्र उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामील लेकर डिप्लोमा रिकॉर्ड से प्राप्त डाकियों को शाप किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार कक कक कर भावाजे दिलायी जाने के बाद भी अनुपस्थित। उनके विरुद्ध एक तरफ कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थनापत्र को शाप करनी कर दिया जाकर चिठिया प्रेषित ले लिखा जाकर शाप किया गया। पत्रावली फॉलो अपडेट लेकर नम्बर से कम है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीतवाड़ा</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 251/2024 प्रा०पत्र

1- अलील 0% लेहक जाट निवासी- दाता कला तहसील- माण्डल (कौरा)

प्रार्थी

बनाम

1- श्री जगना सो श्री सुरता जाट निवासी- दाता कला तहसील- माण्डल (कौरा)  
[प्रमाणित प्रा०पत्र राखेंगे]

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 26.7.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दाता कला पटवार हल्का दाता कला तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 1529/814 कुल कित्ता 0.1 रकबा 0.5059 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 01-07-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम दाता कला पटवार हल्का दाता कला तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 1529/814 कुल कित्ता 0.1 रकबा 0.5059 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जागकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक माण्डल को 500 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खली होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा